

इन्द्राज दुरुस्ती
(देखिये धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

सेवा में

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय

गंगापूर सिटी

कोट प्रमुख
7-11-25

विषय: जमाबन्दी स्थायी वर्ष 2018 ग्राम खुरवा सैला के खाता संख्या 33
में इन्द्राज दुरुस्ती बाबत ।

महोदय,

प्रार्थी:- रमेश चन्द पिता कुन्दैया जाति बैरवा ठे खुरवा

मुताबिक रिकार्ड जमाबन्दी स्थायी वर्ष 2018 ग्राम खुरवा सैला के खाता संख्या 33 में प्रार्थी की पिता नाम का नाम / जाति / हिस्सा चमार अंकित है। अंकित प्रविष्टि के स्थान पर प्रार्थी पिता नाम की जाति / हिस्सा बैरवा शुद्ध करवाना चाहता है। हमारे द्वारा इसकी जांच कर ली गई है, मुताबिक संलग्न दस्तावेज व शपथपत्र गवाहान के आधार पर प्रार्थी की पिता नाम का नाम / जाति / हिस्सा बैरवा दर्ज किया जाना उचित है।

7144

[Signature]
हस्ताक्षर भू.अभि. निरीक्षक

[Signature]
हस्ताक्षर पटवारी
संभल खुरवा सैला
तहसील गंगापूर सिटी

17-11-25

कार्यालय तहसीलदार(भू.अ.) गंगापूर सिटी

क्रमांक 5251

दिनांक 6-11-25

मूल ही श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय गंगापूर सिटी को प्रेषित कर निवेदन है कि मुताबिक रिकार्ड प्रविष्टि नाम चमार दर्ज है। जांच रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि.एवं शपथपत्र गवाहान के आधार पर इसके स्थान पर नाम बैरवा दुरुस्त करने की अभिशंषा की जाती है।

55/170

17-11-25

[Signature]
तहसीलदार(भू.अ.)
गंगापूर सिटी (संभल)

न्यायालय उप जिला कलेक्टर गंगापूर सिटी

क्रमांक

दिनांक

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थनापत्र एवं जांच रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि.एवं शपथपत्र गवाहान व तहसीलदार गंगापूर सिटी की अभिशंषा के आधार पर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के अनुसरण में ग्राम खुरवा सैला तहसील गंगापूर सिटी जिला रुमा की जमाबन्दी स्थायी वर्ष 2018 में खाता संख्या 33 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि नाम चमार के स्थान पर नाम बैरवा शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद के आदेश प्रदान किये जाते हैं।

2220
551

[Signature]
उप जिला कलेक्टर
उपखण्ड अधिकारी
गंगापूर सिटी (संभल)

3112

07/11/25

